मानव व्यापार कानूनी संधर्व टूलकिट

बँधुवा श्रम हस्तछेपों की SOP

अवैध यौन व्यापार के दोषियों पर अभियोजन की कार्यविधियों

अवैध यौन व्यापार के दोषियों पर अभियोजन की कार्यविधियों का सारांश

चरण: १
अवैध यौन व्यापार की प्राथमिकी दर्ज कराना

चरण: २
मैजिस्ट्रेट या CWC के सामने पीड़ितों को पेश करना

चरण: ३
अवैध यौन व्यापार के आरोपितों को गिरफ़्तार करना

चरण: ४
सरकारी अभियोजन पक्ष की सहायता के लिए वकालतनामा और आवेदन दायर करना

चरण: ५
आरोपित दोषियों के ज़मानत आवेदन का विरोध करना

चरण: ६
जाँच के दौरान बयान दर्ज करना

चरण: ७
अपराधियों को निकालना और वेश्यालय बंद कराना

चरण: ८
अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों की क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन दायर करना

चरण: ९
अवैध यौन व्यापार का आरोपपत्र दर्ज कराना

चरण: १०
मुक़दमे का उपयुक्त मंच सुनिश्चित करना

चरण: ११
अवैध यौन व्यापार के आरोप तय करना

चरण: १२
अवैध यौन व्यापार के मामले की सभी सुनवाइयों में सरकारी अभियोजन पक्ष की सहायता करना

चरण: १३
अवैध यौन व्यापार के गवाहों को गवाही के लिए तैयार करना

चरण: १४
अवैध यौन व्यापार सिद्ध करने के लिए अंतिम तर्क प्रस्तुत करना

चरण: १५
निर्णय प्राप्त करना

चरण: १६
अपील दायर करना

चरण 1 अवैध यौन व्यापार की प्राथमिकी दर्ज कराना

समयसीमा: प्राथमिकी यदि बचाव के बाद दर्ज कराई जा रही हो तो आदर्श रूप से उसे बचाव से 48 घंटों के भीतर दर्ज करा देना चाहिए।

NGO

जिस पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार में अवैध यौन व्यापार हुआ है उस पुलिस स्टेशन में NGO को प्राथमिकी (FIR) दर्ज करानी चाहिए।

अधिवक्ता

अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्राथमिकी में सारे लागू अवैध यौन व्यापार अपराध और अन्य अपराध शामिल करके प्राथमिकी पंजीकृत की जाए।

व्याख्या

NGO प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज हो और उसमें सारे संबंधित अपराध शामिल किए जाएँ। याद रखें, यदि इस बारे में संशय हो कि पीड़ित अवयस्क है या नहीं, तो उसे अवयस्क मानना चाहिए।

यदि पुलिस प्राथमिकी पंजीकृत न करे या पंजीकृत करने से मना करे तो NGO को किसी अधिवक्ता की सहायता लेनी चाहिए।

अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिकायतकर्ता पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के पास CrPC की धारा 154(1) के तहत एक या अधिक संज्ञेय अपराधों के किए जाने की सूचना दर्ज कराए।

प्राथमिकी पंजीकृत कराने के लिए अवैध यौन व्यापार के अपराधों की शिकायत या सूचना कोई भी व्यक्ति दर्ज करा सकता है। अधिवक्ता प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए सरकारी अधिकारियों को, पीड़ित को, पीड़ित के परिवार को, या किसी भी व्यक्ति को प्रेरित कर सकता है।

वह महत्वपूर्ण जानकारी जो प्राथमिकी में शामिल की जानी चाहिए:

- बचाव का दिनांक और स्थान,
- बचाव का समय,
- बचाव स्थल की पुलिस स्टेशन से दूरी,
- बचाए गए पीड़ितों के नाम और उनकी आयु,
- अपराध घटित होने का स्थान,
- वेश्यालय स्वामी/मानव व्यापारी का नाम व पता (यदि ज्ञात हों),
- घटित अपराधों के विवरण,
- बचाव स्थल का और ज़ब्त सामग्री का संक्षिप्त वर्णन,
- अभियान संचालित करने वाले बचाव दल का विवरण।

अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी सूचना को CrPC की धारा 154 के तहत प्राथमिकी के रूप में दर्ज करे।

यदि पुलिस प्राथमिकी पंजीकृत नहीं कर रही है तो ये क़दम उठाएँ:

यदि सूचना दर्ज नहीं की जा रही है या प्राथमिकी पंजीकृत नहीं की जा रही है, तो अधिवक्ता को CrPC की धारा 154(3) के अनुसरण में वह सूचना लिखित में और डाक द्वारा संबंधित पुलिस अधीक्षक को भेजनी चाहिए।

यदि तब भी सूचना को प्राथमिकी के रूप में पंजीकृत न किया जाए, तो अधिवक्ता को मैजिस्ट्रेट से एक आवेदन करना चाहिए जिसमें सूचना दर्ज किए जाने और जाँच शुरू किए जाने का आदेश देने का अनुरोध हो।

व्याख्या

यदि तब भी सूचना को प्राथमिकी के रूप में पंजीकृत न किया जाए, तो अधिवक्ता को CrPC की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करनी चाहिए।

सस्मरणीय बिंदु

प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए कोई भी शिकायत दर्ज करा सकता है: कोई भी व्यक्ति अवैध यौन व्यापार के अपराध की प्राथमिकी पंजीकृत कराने के लिए शिकायत दर्ज करा सकता है। कोई भी पुलिस अधिकारी, NGO, CWC, पीड़ित के माता-पिता/रिश्तेदार, उक्त अपराध की जानकारी रखने वाला कोई भी अन्य व्यक्ति, या स्वयं पीड़ित भी शिकायतकर्ता हो सकता है।

यदि बचाया गया व्यक्ति उसके व्यापार के समय बच्चा था: यदि बचाया गया व्यक्ति वयस्क है पर उसके व्यापार के समय वह बच्चा था, तो बाल व्यापार पर लागू होने वाले क़ानून की धाराएँ लगवाएँ। IPC की धाराएँ 372 और 373 देखें।

प्राथमिकी में जाँच अधिकारी का नाम होना ज़रूरी है: प्राथमिकी पंजीकृत कर रहे IO का नाम और उसका पदनाम प्राथमिकी में साफ़-साफ़ लिखा जाना चाहिए। मुक़दमे में IO की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और इसलिए प्राथमिकी में IO का विवरण साफ़-साफ़ लिखा होना चाहिए।

CrPC की धारा 157 के तहत जाँच पर ज़ोर दें: अधिवक्ता को पुलिस को CrPC की धारा 157 के तहत जाँच के साथ आगे बढ़ने को और संज्ञेय अपराध करने के संदिग्धों को गिरफ़्तार करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यदि पुलिस जाँच के साथ आगे न बढ़े, तो अधिवक्ता को जाँच शुरू करने के आदेश के लिए CrPC की धारा 156(3) के तहत मैजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन दर्ज करना चाहिए।

ऐसे मामलों में जिनमें SC व ST अधिनियम के तहत अपराध शामिल हों: यदि मामले में SC व ST अधिनियम के तहत अपराध शामिल हों, तो अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मामले की जाँच DSP या उनसे उच्चतर रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा की जाए और 30 दिनों के भीतर पूरी कर ली जाए।

और जानें तथा क़दम उठाएँ

प्राथमिकी पंजीकृत करने का अनिवार्य दायित्व: पुलिस स्टेशन का प्रभारी पुलिस अधिकारी CrPC की धारा 154 के तहत संज्ञेय अपराधों के लिए प्राथमिकी पंजीकृत करने को बाध्य होता है। प्राथमिकी पर सूचना देने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर भी ज़रूरी होता है।131

प्राथमिकी से संबंधित निर्णयों के बारे में और जानने के लिए अध्याय 5 देखें।

जब पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने से मना करे तब इन प्रारूपों का उपयोग करें:

- प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए CrPC की धाराओं 200 और156(3) के तहत मैजिस्ट्रेट को आवेदन: शिकायत का संज्ञान लेने के लिए CrPC की धारा 200 के तहत मैजिस्ट्रेट को किए जाने वाले आवेदन के मसौदे और, संबंधित SHO को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिलवाने के लिए CrPC की धारा 156(3) के तहत किए जाने वाले आवेदन के मसौदे के लिए परिशिष्ट 22A देखें।
- केस डायरी मँगवाने के लिए मैजिस्ट्रेट को CrPC की धारा 172 (2) के तहत आवेदन: शुरुआती जाँच में सहायता के लिए पुलिस द्वारा बनाकर रखी जाने वाली केस डायरी मँगवाने का आग्रह मैजिस्ट्रेट से करने हेतु CrPC की धारा 172(2) के तहत किए जाने वाले आवेदन के मसौदे के लिए परिशिष्ट 25 देखें।

प्राथमिकी: प्राथमिकी (FIR) देखने में कैसी होती है यह जानने के लिए अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन या JVI से संपर्क करें।

प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली याचिका का मसौदा पाने के लिए JVI से संपर्क करें।

चरण 2 मैजिस्ट्रेट या CWC के सामने पीड़ितों को पेश करना

समयसीमा: जब संभव हो तब, बचाव पूरा होने के बाद जल्द-से-जल्द, बचाव से 24 घंटों के भीतर पीड़ितों को मैजिस्ट्रेट/CWC (यदि अवयस्क हों) के सामने पेश कर देना चाहिए।

NGO

NGO को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बचाए गए वयस्कों को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए और बचाए गए अवयस्कों को CWC के सामने पेश किया जाए।

अधिवक्ता

अधिवक्ता को अधिकारियों को यह बताना चाहिए कि यदि वे संशय में हों तो पीड़ितों को अवयस्क मानें।

व्याख्या

NGO प्रतिनिधियों को मैजिस्ट्रेट के सामने पीड़ितों के साथ रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ितों से पूरी संवेदनशीलता और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाए।

NGO देखभाल कर्मियों को बचाए गए पीड़ितों की चिकित्सा जाँच के लिए एक महिला पुलिस हवलदार को साथ लेकर पीड़ितों के साथ जाना चाहिए और फिर उन्हें उस आश्रय गृह तक सुरक्षित पहुँचाना चाहिए जहाँ उन्हें रखा गया है।

अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे को CWC के सामने पेश किया जाए। यदि पीड़ित की आयु तय न हो पा रही हो तो अधिवक्ता को यह तय करने में पुलिस की सहायता करनी चाहिए कि पीड़ित को CWC के सामने पेश किया जाए या नहीं। यदि संशय हो तो पीड़ित को अवयस्क मानना चाहिए।

अधिवक्ता को पुलिस को CWC के सामने पीड़ित का बयान केस डायरी में लिखने की सलाह देनी चाहिए।

अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वयस्क पीड़ितों को ITPA विशेष न्यायालय के सामने पेश किया जाए और यह कि किसी महिला चिकित्सक द्वारा तुरंत चिकित्सा जाँच की जाए।

विशेष न्यायालय दंडाधिकारी (स्पेशल कोर्ट मैजिस्ट्रेट) के सामने पीड़ितों को यह सुनिश्चित करने के लिए पेश किया जाता है कि चिकित्सा जाँच के आदेश और पीड़ित के सरकारी या निजी लाइसेंस-प्राप्त आश्रय गृह में अस्थायी ठहराव के आदेश पारित कर दिए जाएँ।

सस्मरणीय बिंदु

यदि बचाव रात में किया जा रहा हो: यदि बचाव रात में किया जा रहा हो तो नाइट ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के पास जाया जा सकता है/उनसे संपर्क किया जा सकता है। पहले से पता करके रखें कि नाइट ड्यूटी मैजिस्ट्रेट कौन हैं और उनके पास जाने/उनसे संपर्क करने का क्या तरीक़ा है।

अभिरक्षा आवेदनों का विरोध करें: जब भी कभी घर पर हिंसा की आशंका हो या यदि गृह सत्यापन रिपोर्ट लंबित हो तो अधिवक्ता को अवयस्कों के माता-पिता या रिश्तेदारों द्वारा दर्ज अभिरक्षा आवेदनों का भी विरोध करना चाहिए।

बचाव दल के संबंध में रक्षा के उपाय: किसी भी परिस्थिति में बचाव दल को पुलिस स्टेशन में रोककर रखना या उसकी उपेक्षा करना नहीं चाहिए क्योंकि ऐसा करने से वह और अधिक जोखिम में पड़ जाएगा।

यदि बचाया गया पीड़ित देखने में अवयस्क लगे: यदि बचाए गए पीड़ित की आयु के बारे में अनिश्चितता हो तो बचाए गए व्यक्ति को CWC भेजना चाहिए। JJA की धारा 94 के अनुसार, जब इस अधिनियम के किसी भी उपबंध के तहत (साक्ष्य देने के प्रयोजन को छोड़कर) CWC के सामने पेश किए गए व्यक्ति की दिखावट के आधार पर CWC को इस बारे में कोई संशय न हो कि उक्त व्यक्ति एक बच्चा है, तो CWC उक्त अवलोकन रिकॉर्ड करेगी, उसमें, जितनी शुद्धता से निर्धारित हो पाए उतनी शुद्धता से, बच्चे की आयु का उल्लेख करेगी, और आयु की किसी भी अन्य पुष्टि की प्रतीक्षा किए बिना धारा 36 के तहत जाँच (देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे पर जाँच) के साथ आगे बढ़ेगी। यदि CWC को उसके सामने पेश किए गए व्यक्ति की आयु को लेकर संशय हो, तो वह निम्नलिखित साक्ष्यों के माध्यम से व्यक्ति की आयु निर्धारित करने का प्रयास करेगी:

सस्मरणीय बिंदु

- **स्कूल से मिला जन्म दिनांक प्रमाणपत्र,** या संबंधित परीक्षा बोर्ड से मिला मेट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाणपत्र, यदि उपलब्ध हो; और यदि उपलब्ध न हो तो;
- नगरपालिका/नगर निगम/नगरपालिका परिषद या पंचायत से मिला **जन्म प्रमाणपत्र;** या
- **उपर्युक्त की अनुपस्थिति में,** CWC के आदेश पर **अस्थीभवन परीक्षण (ऑसिफ़िकेशन टेस्ट)** या कोई भी अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु निर्धारण परीक्षण किया जा सकता है, बशर्ते उसे उक्त आदेश पारित होने से 15 दिनों के भीतर पूरा कर लिया जाए।

मैजिस्ट्रेट या CWC के सामने पेश करना और दोषी की गिरफ़्तारी: चरण 2.2 और चरण 2.3, दोनों साथ-साथ हो सकते हैं, और कुछ मामलों में (जैसे, तब जब बचाव अभियान रात में संचालित किया जाए) चरण 2.3 पहले होगा और चरण 2.2 उसके बाद। NGO प्रतिनिधियों के लिए दल को इस प्रकार बाँट लेना सबसे अच्छा रहेगा कि एक दल गिरफ़्तारी वाली जगह पर उपस्थित हो और दूसरा दल मैजिस्ट्रेट या CWC के सामने।

और जानें तथा क़दम उठाएँ

देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाला बच्चा: बचाए गए बच्चे को देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाला बच्चा माना जाएगा और वह उक्त ज़िले की CWC के क्षेत्राधिकार के दायरे में आएगा। CWC के पास अवयस्क की आयु निर्धारित करने का प्राधिकार है। अधिक जानकारी के लिए किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धाराएँ 2(14), 31, 36 और 94 पढ़ें। CWC उसके सामने पेश किए गए बच्चे की आयु का निर्धारण धारा 94 के तहत करेगी।

गृह जाँच रिपोर्ट: CWC को गृह जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने का निर्देश देना है, उसका पर्यवेक्षण करना है और तदनुसार बच्चे की सुरक्षित अभिरक्षा के संबंध में निर्णय लेना है। गृह जाँच रिपोर्ट का एक प्रारूप परिशिष्ट 29 में है। किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 33 के अनुसार, CWC को अपने आदेश में उस NGO का नाम साफ़-साफ़ बताना है जिसे गृह जाँच करनी है।

बच्चे की अभिरक्षा माता-पिता को देने के लिए CWC का आदेश: बच्चे के कल्याण और पीड़ित की बहाली की ज़िम्मेदारी CWC पर है। किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 37 के तहत, CWC बाल कल्याण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत सामाजिक पड़ताल रिपोर्ट (सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट) पर विचार करके और, यदि बच्चा अपनी राय रखने में सक्षम है तो, बच्चे की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए, बच्चे की अभिरक्षा वापस उसके माता-पिता या संरक्षक को सौंपने का आदेश दे सकती है।

NGO प्रतिनिधियों और अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे को उसकी माता/उसके पिता/उसके माता-पिता/उसके संरक्षक को ही सौंपा जा रहा हो और यदि उन्हें यह आशंका या विश्वास हो कि अभिरक्षा पाने वाला व्यक्ति बच्चे का दोबारा व्यापार करेगा तो उन्हें बच्चे की रिहाई का विरोध करना चाहिए।

JVI इस बारे में और जानकारी दे सकता है कि बच्चे या अवयस्क को संदिग्ध मानव व्यापारी को सौंपे जाने का विरोध कैसे करना है।

प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली याचिका का मसौदा पाने के लिए JVI से संपर्क करें।

चरण 3 अवैध यौन व्यापार के आरोपितों को गिरफ़्तार करना

समयसीमा: आरोपितों की गिरफ़्तारी तुरंत की जानी चाहिए, या कम-से-कम बचाव वाले दिन से सात दिनों के भीतर तो की ही जानी चाहिए।

NGO	अधिवक्ता
NGO को अवैध यौन व्यापार अपराधों में संलिप्त सभी आरोपितों को तुरंत गिरफ़्तार करने में पुलिस की सहायता करनी चाहिए।	अधिवक्ता को CrPC के संबंधित प्रावधानों के तहत आरोपितों की तुरंत गिरफ़्तारी में पुलिस की सहायता करनी चाहिए और पुलिस को तेज़ी से जाँच आगे बढ़ाने को प्रेरित करना चाहिए।

व्याख्या

यदि NGO को आरोपित की पहचान के बारे में बचाए गए व्यक्तियों से कोई जानकारी मिली हो तो वह जानकारी तुरंत पुलिस और अधिवक्ता को दी जानी चाहिए।	अधिवक्ता को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी गिरफ़्तारियाँ और आगे की जाँच क़ानून के अनुसार की जाए। अधिवक्ता को पुलिस को CrPC की धारा 157 के तहत जाँच के साथ आगे बढ़ने को और संज्ञेय अपराध करने के संदिग्धों को गिरफ़्तार करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अधिवक्ता को IO को बिना किसी विलंब के अपराधी को गिरफ़्तार करने की सलाह देनी चाहिए।

सस्मरणीय बिंदु

महिला अपराधी की गिरफ़्तारी के मामले में: अधिवक्ता को पुलिस को CrPC की धारा 46(6) में वर्णित कार्यविधियों के पालन की सलाह देनी चाहिए, जिनमें लिखा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किसी भी महिला की गिरफ़्तारी नहीं की जानी चाहिए, तब के सिवाय जब अपवादस्वरूप परिस्थितियाँ हों और जब गिरफ़्तार करने वाली महिला पुलिस अधिकारी ने क्षेत्राधिकारी प्रथम वर्गीय मैजिस्ट्रेट से अग्रिम अनुमति प्राप्त कर ली हो। महिला अपराधी की तलाशी केवल किसी WPC को ही लेनी चाहिए।

संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध: यदि अपराध संज्ञेय हो, तो पुलिस अधिकारी वॉरंट के बिना गिरफ़्तारी कर सकता है पर असंज्ञेय अपराधों के मामले में वॉरंट आवश्यक होता है। CrPC की प्रथम अनुसूची अपराधों को उनकी संज्ञेयता के आधार पर वर्गीकृत करती है।

और जानें तथा क़दम उठाएँ

गिरफ़्तारी के आधार: CrPC की धारा 41 के तहत पुलिस अधिकारी निम्नलिखित में से किसी भी निष्पक्ष आधार के मौजूद होने पर व्यक्ति को गिरफ़्तार कर सकता है:[95]

1. गिरफ़्तार व्यक्ति को और कोई अपराध करने से रोकने के लिए;
2. अपराध की उचित पड़ताल के प्रयोजन से;
3. गिरफ़्तार व्यक्ति को साक्ष्य ग़ायब करने या साक्ष्य से छेड़-छाड़ करने से रोकने के लिए;
4. गिरफ़्तार व्यक्ति को किसी गवाह को ललचाने या गवाह को पुलिस अधिकारी के सामने अपना बयान नहीं देने या न्यायालय में गवाही नहीं देने पर राज़ी करने के प्रयोजन से गवाह को कोई प्रलोभन, धमकी, या वचन देने से रोकने के लिए; या
5. न्यायालय की कार्यवाहियों के लिए जब व जैसे आवश्यक हो तब और वैसे गिरफ़्तार व्यक्ति की उपस्थिति न्यायालय में सुनिश्चित करने के लिए।

"अभिरक्षा" (कस्टडी) और "गिरफ़्तारी" (अरेस्ट), इन दोनों शब्दों के अर्थ अलग-अलग हैं। क़ानून की भाषा में, किसी दंडनीय अपराध के संबंध में गिरफ़्तारी का अर्थ किसी आपराधिक आरोप का उत्तर देने या किसी दंडनीय अपराध को घटित होने से रोकने के लिए व्यक्ति को नज़रबंद करने या निरुद्ध करके रखने के प्रयोजन से व्यक्ति को अभिरक्षा में लेने यानी हिरासत में लेने से है।

चरण 4 सरकारी अभियोजन पक्ष की सहायता के लिए वकालतनामा और आवेदन दायर करना

समयसीमा: सरकारी अभियोजन पक्ष की सहायता के लिए वकालतनामा और आवेदन दायर करने की प्रक्रिया में प्राथमिकी दायर करने के दिनांक से एक से सात दिन लग सकते हैं।

NGO	अधिवक्ता
NGO को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अवैध यौन व्यापार के पीड़ित अधिवक्ता को आवश्यक जानकारी दें और यह कि जब पीड़ित अधिवक्ता से मिलें तब अर्ह महिला परामर्शदाता या महिला क़ानूनी संरक्षक उपस्थित हों।	अधिवक्ता को उनके क़ानूनी परामर्शदाता के रूप में वकालतनामा दायर करने के लिए अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों की सहमति लेनी चाहिए और अभियोजन पक्ष की सहायता के लिए CrPC की धारा 301(2) के तहत एक आवेदन दायर करना चाहिए।

व्याख्या

बाल पीड़ित के मामले में, आश्रय गृह के देखभालकर्ता को वकालतनामे पर हस्ताक्षर करना होगा और NGO को इस प्रक्रिया में अधिवक्ता की सहायता करनी चाहिए।	पीड़ित जैसे ही संरक्षात्मक अभिरक्षा में पहुँचे, वैसे ही अधिवक्ता को जल्द-से-जल्द उसका प्रतिनिधित्व करने के वकालतनामे की एक प्रति प्राप्त कर लेनी चाहिए। बाल पीड़ित के मामले में, आश्रय गृह के देखभालकर्ता को वकालतनामे पर हस्ताक्षर करना होगा। वकालतनामा एक दस्तावेज़ होता है जो अधिवक्ता को अपने मुवक्किल के लिए और उसकी ओर से कार्य करने की शक्ति देता है। अधिवक्ता को सरकारी अभियोजन पक्ष की सहायता के लिए CrPC की धारा 301(2) के तहत न्यायालय में वकालतनामा और शपथपत्र दायर करने चाहिए।

सस्मरणीय बिंदु

अधिवक्ता मैजिस्ट्रेट के सामने पीड़ितों की ओर से निम्नलिखित आवेदन कर सकता है:

- **बचाए गए पीड़ित की चिकित्सीय जाँच के लिए:** अधिवक्ता को बचाए गए पीड़ित की आयु निर्धारित करने और यौन दुर्व्यवहार हुआ था या नहीं यह निर्धारित करने के लिए पीड़ित की चिकित्सीय जाँच के आदेश की माँग करते हुए ITPA की धाराओं 15(5-A) के तहत उपयुक्त आवेदन दायर करने चाहिए।
- **यह सुनिश्चित करने के लिए कि पीड़ित को सुरक्षित स्थान पर रखा जाए और गृह जाँच रिपोर्ट (HIR) जमा की जाए:** अधिवक्ता को बचाए गए पीड़ित को सुरक्षित स्थान पर रखने और HIR दायर किया जाना तथा संबंधित कार्यविधियाँ पूरी की जाना सुनिश्चित करने के आदेश माँगते हुए ITPA की धारा 17 के तहत उपयुक्त आवेदन दायर करने चाहिए।
- **यह सुनिश्चित करने के लिए कि पीड़ित को सुरक्षित स्थान पर रखा जाए:** अधिवक्ता को पीड़ित को अस्थायी तौर पर संरक्षण गृह में रखे जाने या उसे देखभाल व संरक्षण प्रदान किए जाने के आदेश की माँग करते हुए ITPA की धारा 19 के तहत उपयुक्त आवेदन दायर करने चाहिए।

[95] देखें रतनलाल एवं धीरजलाल, दंड प्रक्रिया संहिता, 19वाँ संस्करण; मनोहर, वी.आर.; पृ. 103

और जानें तथा क़दम उठाएँ

दस्तावेज़ों के नमूने और अभ्यास सहायक: सरकारी अभियोजन पक्ष की सहायता हेतु आवेदन के प्रारूप के लिए परिशिष्ट 24 देखें। परिशिष्ट में वकालतनामे का प्रारूप भी है।

दस्तावेज़ों के नमूने और अभ्यास सहायक
इन दस्तावेज़ों में संबंधित प्रारूप हैं:

- **न्यायालय से अभिरक्षा आवेदन CWC को संप्रेषित करने के अनुरोध का नमूना प्रारूप परिशिष्ट 27 में है**
- **HIR का प्रारूप परिशिष्ट 29 में है**

ITPA की धाराओं 15 (5-A), 17 और 19 के तहत किए जाने वाले आवेदनों के टेम्प्लेटों के लिए JVI से संपर्क करें।

चरण 5 आरोपित दोषियों के ज़मानत आवेदन का विरोध करना

समयसीमा: आरोपित का ज़मानत आवेदन दायर होते ही उसके विरोध का आवेदन तुरंत दायर कर देना चाहिए।

NGO	अधिवक्ता
NGO प्रतिनिधियों को आरोपितों द्वारा दायर ज़मानत आवेदनों के संबंध में जो भी सूचना मिले उसे तुरंत अधिवक्ता तक पहुँचाने में अपनी ओर से सक्रिय रहना चाहिए।	अधिवक्ता को मौखिक और लिखित रूप में ज़मानत का विरोध करने के लिए और, यदि ज़मानत स्वीकृत होती है तो ज़मानत की कठोर शर्तों के पक्ष में तर्क रखने के लिए, सभी ज़मानत सुनवाइयों में भाग लेना चाहिए।

व्याख्या

NGO प्रतिनिधियों के पास जब भी कभी आरोपित के ज़मानत आवेदनों के संबंध में कोई जानकारी हो तो उन्हें अधिवक्ता को सूचित करना चाहिए। दायर अभियोजन के समर्थन हेतु विधिवत हस्ताक्षरित वकालतनामा और शपथपत्र (आवेदन) प्राप्त करने के लिए NGO को अधिवक्ता को सारी ज़रूरी मदद देनी चाहिए।	यदि आरोपित को एक या अधिक ग़ैरज़मानती अपराध के लिए गिरफ़्तार किया गया है, तो अधिवक्ता को आरोपित को ज़मानत दिए जाने का विरोध करते हुए ज़मानत का लिखित विरोध दायर करना चाहिए। अधिवक्ता को हर रिमांड सुनवाई में भाग लेना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि ज़मानत अस्वीकृत हो। यदि आरोपित को ज़मानत मिल जाए, तो अधिवक्ता को उपयुक्त मंच के समक्ष ज़मानत रद्द किया जाना संभव बनाने वाली उपयुक्त परिस्थितियों की मौजूदगी के संबंध में सतर्क रहना चाहिए।

सस्मरणीय बिंदु

रिमांड सुनवाइयों में भाग लें: रिमांड का अर्थ आरोपित को मुक़दमे से पहले पुलिस की अभिरक्षा या न्यायिक अभिरक्षा में क़ैद रखने से है। अधिवक्ता को हर रिमांड सुनवाई में भाग लेना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि ज़मानत अस्वीकृत हो।

ज़मानत कब रद्द की जा सकती है? यदि आरोपित न्यायालय में उपस्थित न हो, न्याय के क्रम से भाग निकले या भाग निकलने की कोशिश करे, या न्याय लागू किए जाने में अड़चन डाले (जैसे, आरोपित द्वारा गवाहों को डराया-धमकाया जाना या उन्हें रिश्वत दी जाना, साक्ष्य ग़ायब करना/करवाना, या जाँच में बाधा डालना), तो अधिवक्ता को गिरफ़्तारी का ग़ैरज़मानती वॉरंट जारी किए जाने और ज़मानत रद्द की जाने का आवेदन दायर करना चाहिए। जब ऐसी परिस्थितियाँ मौजूद हों तो उन्हें पहचानने में और उक्त आवेदन दायर करने में अधिवक्ता को सतर्क होना चाहिए।

पुलिस और सरकारी अभियोजक के साथ संबंध बनाना: अधिवक्ता को आरोपित द्वारा दायर ज़मानत याचिकाओं के बारे में नवीनतम जानकारी पाने के लिए ऊँची रैंक वाले पुलिस अधिकारियों और सरकारी अभियोजक से निकट संबंध बनाने चाहिए। पुलिस और सरकारी अभियोजक से संबंध बनाए रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिवक्ता की जानकारी के बिना होने वाली ज़मानत सुनवाई में आरोपित को ज़मानत मिल सकती है, जिससे उसे फ़रार होने और मुक़दमे को बीच में रोक देने का

सस्मरणीय बिंदु

मौक़ा मिल सकता है। यदि किसी कारण अधिवक्ता ज़मानत याचिका की जानकारी न होने के चलते किसी ज़मानत सुनवाई में नहीं जा पाता है, तो पूरा मुक़दमा हाथ से निकल सकता है। इसलिए, सरकारी अभियोजक की सहायता करने के लिए आवेदन दायर करना और मुक़दमे में शामिल हितधारकों के साथ संबंध बनाए रखना महत्वपूर्ण है।

उच्च न्यायालय में ज़मानत की सुनवाइयों की स्थिति जाँचना: अधिवक्ता को उच्च न्यायालय में सूचीबद्ध ज़मानत आवेदनों पर रोज़ाना नज़र रखनी चाहिए और नियमित रूप से ज़मानत न्यायालय जाकर यह जाँचना चाहिए कि कहीं कोई ज़मानत के मामले तो नहीं आए हैं।

और जानें तथा क़दम उठाएँ

ज़मानत विरोध के आवेदन के प्रारूप के लिए **परिशिष्ट 26** देखें।

ज़मानत स्वीकार किए जाने का विरोध करना: ज़मानत विरोध संदर्भ शीट के लिए **परिशिष्ट 13A** देखें। इस परिशिष्ट में इस बारे में जानकारी है कि ज़मानत के विरोध के बारे में विभिन्न न्यायालयों ने क्या-क्या कहा है।

ज़मानत का रद्दीकरण: ज़मानत के रद्दीकरण के आधार उदाहरण-रूपी हैं, वे कोई संपूर्ण सूची नहीं हैं।[96] आम तौर पर इन आधारों में शामिल हैं:

1. न्याय को प्रभाव में लाने के उचित क्रम में अड़चन डालना या अड़चन डालने की कोशिश करना, जिसमें निम्नलिखित शामिल है:
   a. जाँच के क्रम में अड़चन डालना
   b. साक्ष्यों या गवाहों से छेड़-छाड़ की कोशिश करना
   c. गवाहों को धमकाना, डराना या उन्हें भ्रष्ट करना, या ऐसी अन्य गतिविधियों में संलिप्त होना जो सुचारू जाँच में बाधा डालें।
2. न्याय के क्रम से भागना या भागने की कोशिश करना, जिसमें निम्नलिखित शामिल है:
   a. देश छोड़ने या देश से प्रस्थान करने की कोशिश करना
   b. भूमिगत हो जाना या जाँच एजेंसी के लिए अनुपलब्ध हो जाना
   c. ज़मानतदारों की पहुँच से बाहर हो जाना।
3. आरोपित को दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग, जिसमें मिलती-जुलती आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होना शामिल है।

इसलिए, जब अप्रत्याशित परिस्थितियाँ, जैसी ऊपर लिखी हैं, मौजूद हों तो परिणामतः ज़मानत रद्द की जा सकती है।

चरण 6 जाँच के दौरान बयान दर्ज करना

समयसीमा: जाँच के दौरान बयान दर्ज करने की प्रक्रिया में एक से साठ दिन तक लग सकते हैं।

NGO	अधिवक्ता
जब पीड़ितों के गवाही बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हों तब NGO प्रतिनिधियों को पीड़ितों की सहायता करनी चाहिए और इस प्रक्रिया के दौरान पीड़ितों को अच्छी गुणवत्ता की परामर्श सहायता प्रदान करनी चाहिए।	अधिवक्ता को CrPC की धारा 161 के तहत संबंधित गवाहों के गवाही बयान रिकॉर्ड करने में पुलिस को सलाह देनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ितों के बयान CrPC की धारा 164 के तहत मैजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किए जाएँ।

व्याख्या	
NGO प्रतिनिधियों को इस प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ितों को झूठा बयान देने पर मजबूर न किया जाए।	अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस प्रक्रिया के दौरान पीड़ितों को आरोपितों और अन्य गवाहों से अलग रखकर उनसे पूछताछ की जाए। अधिवक्ता को पुलिस को प्रेरित करना चाहिए कि वह मामले के बारे में जो भी लोग लोग जानकारी रखते हों उन सभी से मौखिक रूप से प्रश्न करे और उनके बयान CrPC की धारा 161 के तहत दर्ज करे। अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मैजिस्ट्रेट के सामने CrPC की धारा 164 के तहत पीड़ित का बयान दर्ज करने का कार्य पीड़ित से पर्याप्त परामर्श के बाद और पीड़ित के बयान देने के लिए तैयार और सक्षम हो जाने पर ही हो। पीड़ित का धारा 164 बयान आदर्श रूप से तब लिया जाना चाहिए जब उससे पर्याप्त परामर्श कर लिया गया हो और अधिवक्ता इस बारे में निश्चित हो कि पीड़ित का बयान मुक़दमे के पक्ष में जाएगा।

सस्मरणीय बिंदु

बयान: ऐसे तीन बयान हैं जो क़ानूनी केस-कार्य से संबंधित हैं: CrPC 161 बयान, पूरक बयान और 164 बयान। यहाँ लक्ष्य यह है कि इस बारे में जानकारी जुटाने के प्रयोजन से सच्चे बयान लिए जाएँ कि बचाए गए व्यक्ति का किस प्रकार व्यापार किया गया था और मानव व्यापार के स्थान की परिस्थिति क्या है। ये बयान ही दोषी की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मुक़दमे के दौरान प्रयोग होने वाली पीड़ितों की गवाहियों का आधार होते हैं। तीनों बयानों के संबंध में NGO और अधिवक्ता की भूमिका एक ही है - बचाए गए व्यक्ति को सच बोलने के लिए प्रेरित करना और उसकी सहायता करना, और बयान लेने में पुलिस की व अधीक्षक/परिवीक्षा अधिकारी की सहायता करना।

धारा 161 बयान: पुलिस बचाव वाली रात धारा 161 बयान ले सकती है। यदि 161 बयान झूठा है या पीड़ित नए तथ्यों का खुलासा करता है, तो पुलिस परिवीक्षा अधिकारी के साथ मिलकर अतिरिक्त बयान ले सकती है जिसे पूरक बयान कहते हैं। एक और विकल्प यह है कि 164 बयान के लिए आवेदन किया जाए। 164 बयान का लाभ यह है कि बचाया गया व्यक्ति मैजिस्ट्रेट के सामने सशपथ बयान देता है और इसलिए इसकी विश्वसनीयता, 161 बयान से अधिक होती है। पीड़ित मैजिस्ट्रेट के सामने अकेला उपस्थित होगा और मैजिस्ट्रेट बयान को सील कर देंगे जो मुक़दमा शुरू होने पर ही खुलेगी। 161 बयानों को दर्ज किए जाने के दौरान, यानी बचाव वाली रात उपस्थित रहना अच्छा रहता है। यह उपस्थिति पुलिस की सहायता करने और बचाए गए व्यक्ति की पक्षधरता करने के लिए उपयोगी होती है।

धारा 164 बयान: अधिवक्ता को पीड़ित को 164 बयान के महत्व और उसे लेने की प्रक्रिया के बारे में बताना चाहिए। साथ ही, पीड़ित को मैजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान देने के लिए ठीक से तैयार भी किया जाना चाहिए। इसके आधार पर, अधिवक्ता और NGO को पीड़ित की 164 बयान देने और उसमें सहयोग करने की इच्छा का आकलन करना चाहिए। यदि वह 164 बयान देने को इच्छुक और तैयार हो, तो अधिवक्ता को पुलिस को सूचित करना चाहिए, जो न्यायालय में आवेदन

करेगी। 164 बयानों को एकांत में दर्ज किया जा सकता है।

एकांत में कार्यवाहियाँ: धारा 164 के तहत गवाह का बयान एकांत में (बंद दरवाज़ों के पीछे) किसी ऐसे माहौल में दर्ज किया जा सकता है जो गवाह को डराता न हो। IO ऐसी याचना CrPC की धारा 327(2) के तहत और साक्षी बनाम भारत संघ[97] का संदर्भ देते हुए कर सकता है। पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह[98] में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कहा है कि बलात्कार के मामलों में, मुक़दमे की कार्यवाही एकांत में की जाए और जहाँ तक हो सके महिला न्यायाधीशों द्वारा की जाए।

यदि पुलिस धारा 164 बयान दर्ज करने के लिए न्यायालय में आवेदन नहीं करती है: यदि पुलिस आवेदन दायर करने की इच्छुक नहीं है, तो बचाया गया व्यक्ति अधिवक्ता के साथ मिलकर ख़ुद यह कार्य कर सकता है। आवेदन के साथ, बचाए गए व्यक्ति की ओर से कम-से-कम एक हस्ताक्षरित वकालतनामा होना ज़रूरी है।

पहले से बयान तैयार करें: 164 बयान दिए जाने से पहले पीड़ित को अधिवक्ता द्वारा तैयार किया जाना अच्छा रहता है। सुनिश्चित करें कि वह मैजिस्ट्रेट के सामने बयान देने के मामले में निडर हो और सच्चा बयान देने को तैयार हो। धारा 164 बयान केवल तब दर्ज किया जाना चाहिए जब अधिवक्ता इस बारे में निश्चित हो कि बचाए गए व्यक्ति से पर्याप्त परामर्श कर लिया गया है और वह मुक़दमे में सच्चा बयान देने को तैयार है।

बचाव वाले दिन/वाली रात दिया गया झूठा बयान: यदि बचाया गया पीड़ित बचाव के समय झूठा बयान दे या अतिरिक्त जानकारी का खुलासा करे, तो क़ानूनी और NGO स्टाफ़ को बचाए गए पीड़ित को पूरक बयान देने को प्रेरित करना चाहिए।

पूरक बयान परिवीक्षा अधिकारी के सामने दर्ज किया जाए: पुलिस को पूरक बयान परिवीक्षा अधिकारी के सामने दर्ज करना चाहिए। यदि पुलिस पूरक बयान लेने से मना करे तो परिवीक्षा अधिकारी उसे दर्ज करके पुलिस को सौंप सकते हैं। इस कार्य में NGO का क़ानूनी स्टाफ़ परिवीक्षा अधिकारी की सहायता कर सकता है। यह सुनिश्चित करना अच्छा रहता है कि परिवीक्षा अधिकारी बयान दर्ज किए जाने वाले दिनांक को ही बयान पर हस्ताक्षर भी करे।

प्रशिक्षित परामर्शदाता: केवल प्रशिक्षित और प्रमाणित परामर्शदाताओं को ही पीड़ितों के साथ बातचीत करनी चाहिए। प्रशिक्षित परामर्शदाता न हो तो सदमे के लक्षणों को संभालने में अनुभव रखने वाला कोई समाजसेवी भी उपयुक्त विकल्प हो सकता है। हालाँकि, NGO को यह सुनिश्चित करने के प्रयास करने चाहिए कि पीड़ित को अपनी उपचार योजना के भाग के रूप में पेशेवर परामर्श मिले।

बयान पीड़ित को ज्ञात भाषा में दर्ज किए जाएँ: NGO प्रतिनिधियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि बयान पीड़ित की भाषा में दर्ज किए जाएँ।

बलात्/ज़बरन बयान: यह सुनिश्चित करने के पर्याप्त उपाय किए जाने चाहिए कि पीड़ितों को बयान देने के लिए मजबूर न किया जाए और यह कि बयान तब दर्ज किए जाएँ जब पीड़ित बयान देने को तैयार और सक्षम हों। साथ ही, इस प्रक्रिया के दौरान आरोपित उपस्थित न हों।

बयान पीड़ित के लिए सुविधाजनक स्थान पर दर्ज किए जाएँ: अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बयान दर्ज करने के लिए पीड़ित को पुलिस स्टेशन न ले जाया जाए। बयान CrPC की धारा 160(1) के तहत प्रावधानित के अनुसार पीड़ित के लिए सुविधाजनक स्थान पर दर्ज किए जाने चाहिए।

और जानें तथा क़दम उठाएँ

बचाए गए व्यक्तियों के बयान दर्ज करना: बचाए गए व्यक्तियों के बयान तब दर्ज करें जब वे बयान देने को तैयार और बयान देने में समर्थ हों। बचाए गए व्यक्ति सदमे से निकलने पर अतिरिक्त बयान दे सकते हैं और उनके भावी बयानों में जो भी विरोधाभास हों उनके लिए सदमे के कारण भ्रम का स्पष्टीकरण दिया जा सकता है।[99]

बचाए गए व्यक्तियों को दिए जाने वाले परामर्श और मनोसामाजिक सहयोग के लिए कृपया "Journey to Justice",[100] a manual on Psychosocial Intervention, UNODC, 2008 देखें।

[97] (2001) 10 SCC 732 136 AIR 1996 SC 1393.

[98] MANU/SC/0366/1996.

[99] अनुभाग 7.1, Recording Statements U/S 161 and 164 CrPC, UNODC Standard Operating Procedures on Investigation of Crimes of Forced Labour, 2008, भारत सरकार और BBA, पृ. 24।

[100] Journey to Justice: Manual on Psycho–Social Intervention, 2008, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय कार्यालय का एक प्रकाशन। यहाँ उपलब्ध: <https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/India_Training_material/Journey_to_Justice_-_Manual_on_Psychosocial_Intervention.pdf>

चरण 7 अपराधियों को निकालना और वेश्यालय बंद कराना

समयसीमा: यदि संभव हो तो अपराधियों को निकालने और वेश्यालय बंद कराने का कार्य उसी दिन कर लें, पर वेश्यालय को बंद करवाने में 60 दिन तक लग सकते हैं।

NGO	अधिवक्ता
NGO को अधिवक्ता को इतनी जानकारी प्रदान करनी चाहिए कि वह संबंधित प्राधिकरणों के सामने वेश्यालय या शोषण के स्थान को बंद करने, सील करने और/या ख़ाली करने की याचिकाएँ और अभिवेदन पेश कर सके।	जिस इकाई में अवैध यौन व्यापार चल रहा था उस इकाई को बंद/सील करने की याचिका अधिवक्ता को मैजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए।

व्याख्या

NGO प्रतिनिधियों को वेश्यालय से पीड़ितों का सुरक्षित निकास सुनिश्चित करने में पुलिस की सहायता करनी चाहिए।[101] NGO को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वेश्यालय से निकाली गईं सभी महिलाएँ (वे पूर्व में चाहे पीड़ितों के रूप में पहचानी गई हों या नहीं) देखभाल गृह में रखे जाने के लिए मैजिस्ट्रेट के सामने पेश की जाएँ।	अधिवक्ता को ITPA के तहत मैजिस्ट्रेट से निष्कासन आदेश की माँग करनी चाहिए। ITPA की धारा 18(1) के तहत दोष सिद्ध होने से पहले और प्राथमिकी पंजीकृत कराए बिना भी निष्कासन संभव है। अधिवक्ता को व्यक्तियों के वाणिज्यिक यौन शोषण को रोकने के लिए ITPA की धारा 7(2) के तहत भी आवेदन करना चाहिए। साथ ही, किसी बच्चे या अवयस्क के साथ किए जा रहे अपराधों के मामले में, उक्त होटल या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का लाइसेंस रद्द किए जाने का आवेदन किया जा सकता है। अधिवक्ता निकाली गई महिलाओं और/या लड़कियों को किसी सुरक्षित स्थान जैसे किसी संरक्षण गृह या किसी देखभाल गृह में रखवाने के लिए ITPA की धारा 19 के तहत मैजिस्ट्रेट के सामने या JJA 2015 की धारा 31 के तहत CWC के सामने (यदि निकाले गए व्यक्ति अवयस्क हों) भी आवेदन करेगा।

चरण 8 अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों की क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन दायर करना

समयसीमा: क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन दायर करने में 1 से 3 माह लग सकते हैं।

NGO	अधिवक्ता
NGO को CrPC की धारा 357 के तहत न्यायालय के समक्ष क्षतिपूर्ति के आवेदन प्रस्तुत करने में अधिवक्ता की सहायता करनी चाहिए।	अधिवक्ता को CrPC की धाराओं 357 और 357A के तहत न्यायालय के समक्ष पीड़ितों की ओर से क्षतिपूर्ति का आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए।

व्याख्या

NGO प्रतिनिधियों को पीड़ित क्षतिपूर्ति का आवेदन दायर किए जाने के बारे में अधिवक्ता से नियमित रूप से मिलकर पूछते रहना चाहिए और जब पीड़ितों को उपयुक्त मंचों के समक्ष उपस्थित होने को बुलाया जाए तो उनके साथ जाना चाहिए।	अधिवक्ता को उपयुक्त मंच के समक्ष पीड़ितों की ओर से क्षतिपूर्ति का आवेदन दायर करना चाहिए। मुक़दमे के भाग के रूप में, पीड़ित क्षतिपूर्ति का अधिकारी है। अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मुक़दमे के क्रम के दौरान, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं से मिलने वाली क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त, न्यायालय CrPC की धाराओं 357 और 357A के तहत भी क्षतिपूर्ति के आदेश दे।

[101] ITPA की धारा 15(4) के तहत, पुलिस के लिए वेश्यालय में मिले सभी व्यक्तियों को सुरक्षित ढंग से निकालना अनिवार्य है।

और जानें तथा क़दम उठाएँ

बचाए गए पीड़ितों के पुनर्वास के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के बारे में जानने के लिए **अध्याय 5** देखें।

अवैध यौन व्यापार के पीड़ित को न्यायालय की ओर से स्वीकृत हो सकने वाली क्षतिपूर्ति: CrPC के निम्नलिखित उपबंधों के तहत न्यायाधीश अवैध यौन व्यापार के पीड़ित के लिए क्षतिपूर्ति का आदेश दे सकते हैं। संबंधित उपबंध इस प्रकार हैं:

- **CrPC की धारा 357 के तहत:** यदि आरोपित का दोष सिद्ध हो जाता है, तो न्यायाधीश आरोपित से बंधुआ श्रम के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति देने की कहकर दंड की मात्रा घटा सकते हैं। यह आवेदन अधिवक्ता द्वारा पीड़ित के नाम में किया जाना होता है।
- **CrPC की धारा 357A के तहत:** इस धारा के तहत, न्यायाधीश के पास ज़िला या राज्य LSA की अनुशंसाओं के आधार पर केंद्र प्रायोजित पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना की अनुरूपता में अतिरिक्त क्षतिपूर्ति की अनुशंसा करने की शक्ति है।

धाराओं 357 और 357A के तहत क्षतिपूर्ति के बारे में निर्णय विधि (केस क़ानून): अंकुश शिवाजी गायकवाड़ बनाम महाराष्ट्र राज्य102 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि "CrPC में 2008 में किए गए संशोधन आपराधिक मुक़दमे में, विशेष रूप से यौन अपराधों से संबंधित मुक़दमों में, पीड़ित के अधिकारों पर अत्यधिक केंद्रित हैं। हालाँकि 2008 में किए गए संशोधनों के तहत धारा 357 में कोई बदलाव नहीं किया गया, पर एक नई धारा 357A पेश की गई जिसके तहत न्यायालय के पास ऐसे मामलों में पीड़ित को क्षतिपूर्ति देने की शक्ति है जहाँ "धारा 357 के तहत प्रदत्त क्षतिपूर्ति उक्त पुनर्वास के लिए पर्याप्त न हो, या जहाँ मुक़दमा आरोपित को निर्दोष घोषित या बरी किए जाने के साथ समाप्त हो और पीड़ित का पुनर्वास किया जाना हो।" इस उपबंध के तहत, यदि आरोपित पर मुक़दमा नहीं चला है और पीड़ित का पुनर्वास किया जाना है, तो पीड़ित राज्य या ज़िला विधिक सेवाएँ प्राधिकरण से उसे क्षतिपूर्ति देने का अनुरोध कर सकता है।"

दस्तावेज़ों के नमूने और अभ्यास सहायक: परिशिष्ट 30 में पीड़ित क्षतिपूर्ति के आवेदन का प्रारूप है।

चरण 9 अवैध यौन व्यापार का आरोपपत्र दर्ज कराना

समयसीमा: प्राथमिकी पंजीकृत होने से नब्बे दिनों के भीतर पुलिस को आरोपपत्र दायर कर देना चाहिए।

NGO	अधिवक्ता
NGO को आरोपपत्र दायर किए जाने के संबंध में अधिवक्ता से नियमित रूप से संपर्क करके पूछते रहना चाहिए।	अधिवक्ता को पुलिस और सरकारी अभियोजक के साथ निकटता से कार्य करके यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आरोपपत्र निर्धारित अवधि के भीतर दायर हो जाए।

व्याख्या

NGO प्रतिनिधियों को अधिवक्ता से नियमित रूप से संपर्क करके पूछते रहकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आरोपपत्र बिना विलंब के दायर कर दिया जाए और आरोपपत्र शीघ्रता से दायर किए जाने के लिए पुलिस अधिकारियों से आवेदन करने में जहाँ आवश्यक हो वहाँ अधिवक्ता की सहायता करनी चाहिए।	अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जाँच अधिकारी CrPC में वर्णित निर्धारित समय के भीतर आरोपपत्र दायर कर दे। यदि IO निर्धारित समयावधि के अंदर आरोपत्र दायर नहीं करता है, तो अधिवक्ता को ACP से संपर्क करके तुरंत आरोपपत्र दायर करने में उनकी सहायता माँगनी चाहिए। यदि तब भी आरोपपत्र दायर न हो, तो अधिवक्ता को न्यायालय से संपर्क करना चाहिए।

[102] (2013) 6 SCC 770.

सस्मरणीय बिंदु

आरोपपत्र की प्रति: अधिवक्ता को आरोपपत्र की एक प्रति प्राप्त करनी चाहिए। यदि आरोपपत्र में तथ्यों द्वारा समर्थित सारे आरोप न हों, तो अधिवक्ता को उपयुक्त आरोपों से युक्त पूरक आरोपपत्र दायर करने के लिए पुलिस के पास आवेदन करना चाहिए। क़ानून की जो धाराएँ छोड़ दी गई हैं उन्हें शामिल करवाने के लिए मैजिस्ट्रेट के पास विरोध याचिका (नाराज़ी याचिका) दायर की जा सकती है।

आरोपपत्र दायर करते समय अधिवक्ता की उपस्थिति: आरोपपत्र दायर करते समय अधिवक्ता को उपस्थित होना चाहिए।

और जानें तथा क़दम उठाएँ

दस्तावेज़ों के नमूने और अभ्यास सहायक: आरोपपत्र दायर किए जाने के लिखित निवेदनों के प्रारूप के लिए परिशिष्ट 23 देखें।

चरण 10 मुक़दमे का उपयुक्त मंच सुनिश्चित करना

समयसीमा: मुक़दमा सत्र न्यायाधीश या अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा संचालित होगा। मुक़दमे का समय न्यायालय के विवेकाधीन तय होगा।

अधिवक्ता

आरोपपत्र दायर हो जाने पर, अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आरोपों के आधार पर मामले को उपयुक्त मंच के सुपुर्द किया जाए।

व्याख्या

आरोपपत्र दायर हो जाने पर, न्यायाधीश (जो मुख्य महानगर दंडाधिकारी (चीफ़ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट), महानगर दंडाधिकारी (मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट), मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (चीफ़ ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट), अपर न्यायिक दंडाधिकारी (अडीशनल ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट), या उप-अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी (सब-डिवीज़नल ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट) हो सकते हैं) मामले का संज्ञान लेंगे और मामले को उपयुक्त न्यायालय के सुपुर्द किया जाएगा।

अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मामले को सत्र न्यायालय के सुपुर्द करने की प्रक्रिया में क़ानून द्वारा स्थापित कार्यविधियों का पालन हो। अपराधों में अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम), 1956, भारतीय दंड संहिता (विशेष रूप से धारा 370) और, यदि बचाए गए व्यक्तियों में अवयस्क हों तो, यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम के तहत अपराध शामिल किए जाने चाहिए।

यदि आरोपपत्र में धारा 370 का उल्लेख हो तो न्यायाधीश मामले को सत्र न्यायालय के सुपुर्द कर सकते हैं।

सस्मरणीय बिंदु

यदि आरोपपत्र में धारा 370 या कोई लागू अपराध न हो: CrPC की धारा 216 न्यायाधीश को आरोप जोड़ने की शक्ति देती है। आरोप जोड़ने के लिए न्यायालय से धारा 216 के तहत आवेदन किया जा सकता है।

सत्र न्यायालय को मामले की सुपुर्दगी: CrPC की धारा 209 के अनुसार यदि किसी मामले को केवल और केवल सत्र न्यायालय में चलाया जा सकता है तो उक्त मामले को सत्र न्यायालय के सुपुर्द किया जा सकता है। यदि आरोपपत्र में धारा 370 का उल्लेख हो तो मामले को केवल और केवल सत्र न्यायालय में चलाया जा सकता है।

और जानें तथा क़दम उठाएँ

अवैध यौन व्यापार से संबंधित क़ानून और अपराध: अवैध यौन व्यापार से संबंधित क़ानूनों और अपराधों के बारे में और जानने के लिए अध्याय 4 देखें।

अपराध विशेष के लिए उपयुक्त मंच: कौनसे मुक़दमे किस न्यायालय में चलाए जा सकते हैं इस बारे में और जानने के लिए, **दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की प्रथम अनुसूची** देखें।

चरण 11 अवैध यौन व्यापार के आरोप तय करना

समयसीमा: आदर्श रूप से, आरोपपत्र दायर होने से तीन माह के भीतर न्यायालय को आरोप तय कर देने चाहिए।

NGO

न्यायालय में आरोपपत्र दायर हो जाने पर, NGO को अधिवक्ता से नियमित रूप से संपर्क करके पूछते रहकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आरोप शीघ्रता से लगाए/तय किए जाएँ।

अधिवक्ता

आरोपपत्र दायर हो जाने पर, अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि न्यायालय के समक्ष उपयुक्त आरोप जल्द-से-जल्द लगा दिए जाएँ।

व्याख्या

NGO प्रतिनिधि को आरोप तय किए जाने के दिनांक को उपस्थित रहना चाहिए। NGO को अधिवक्ता के साथ निकटता से कार्य करके यह सुनिश्चित करना चाहिए कि न्यायालय की कार्यविधियाँ अधिकतम संभव तेज़ी से आगे बढ़ें।

जब आरोप तय किए जा रहे हों तब अधिवक्ता को न्यायालय में उपस्थित रहकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी संबंधित आरोप जोड़ दिए गए हों।
अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करने में सतर्क रहना चाहिए कि न्यायालय की कार्यविधियाँ अविलंब आगे बढ़ें।

सस्मरणीय बिंदु

निकट न्यायालय दिनांक और अनुचित विलंब की रोकथाम: सुनिश्चित करें कि न्यायालय मामले को बार-बार स्थगित न करता रहे, और यदि वह ऐसा करे, तो निकट न्यायालय दिनांकों पर ज़ोर दें ताकि आरोप तय किए जा सकें। CrPC की धारा 309(1) के तहत, "प्रत्येक जाँच या मुक़दमे में... कार्यवाही अधिकतम संभव शीघ्रता से की जाएगी..."। CrPC कुछ परिस्थितियों में स्थगन स्वीकृति पर रोक भी लगाती है।[103]

दोष स्वीकारोक्ति: आरोप तय करने के बाद, सत्र न्यायालय आरोपित से पूछेगा कि क्या उसे उस पर लगाए गए आरोप स्वीकार हैं। यदि आरोपित दोष स्वीकार करता है, तो मुक़दमा वहीं पर समाप्त हो जाएगा, अन्यथा मुक़दमा आगे बढ़ेगा।

और जानें तथा क़दम उठाएँ

अवैध यौन व्यापार के अपराध: अवैध यौन व्यापार के अपराधों के बारे में पढ़ने के लिए, अध्याय 4 और 5 देखें।

सत्र न्यायालय के मुक़दमे में दोष स्वीकारोक्ति के बारे में पढ़ने के लिए, **CrPC की धारा 229** देखें।

चरण 12 अवैध यौन व्यापार के मामले की सभी सुनवाइयों में सरकारी अभियोजन पक्ष की सहायता करना

समयसीमा: यह सहायता मामले की सभी सुनवाइयों में आवश्यक है।

NGO

मुक़दमा शुरू हो जाने पर, NGO के एक प्रतिनिधि को सभी आवश्यक सुनवाइयों में न्यायालय में उपस्थित रहना चाहिए।

अधिवक्ता

अधिवक्ता को न्यायालय की हर सुनवाई में उपस्थित रहना चाहिए और मुक़दमे के हर चरण में सरकारी अभियोजक की सहायता के लिए तैयार रहना चाहिए।

व्याख्या

NGO को किसी ऐसे प्रतिनिधि को भेजना चाहिए जिसके पास मामले के तथ्यों और नवीनतम अपडेट के बारे में जानकारी हो। इससे सरकारी अभियोजन पक्ष के

अधिवक्ता को मुक़दमे के हर चरण में उपस्थित होना चाहिए और यदि संभव हो तो हर सुनवाई से पहले सरकारी अभियोजक से मिलना चाहिए।

[103] CrPC की धाराएँ 309 (1) और 309 (2)।

व्याख्या

अधिवक्ताओं को न्यायालय द्वारा पूछे गए किन्हीं भी प्रश्नों, विशेष रूप से पीड़ितों की गवाही से संबंधित प्रश्नों, के उत्तर देने में सहायता मिल सकती है।

अधिवक्ता को CrPC की धारा 301(2) के तहत अभियोजन पक्ष की सहायता करने की अनुमति है।

चरण 13 अवैध यौन व्यापार के गवाहों को गवाही के लिए तैयार करना

समयसीमा: अवैध यौन व्यापार के गवाहों को तैयार करने में 1 माह लग सकता है।

NGO

मुक़दमे के दौरान, NGO को पीड़ितों को निडरता से, शुद्धता से, और स्पष्टता से गवाही देने का परामर्श देकर उन्हें उनकी गवाही के लिए तैयार होने में सहायता देनी चाहिए।

अधिवक्ता

अधिवक्ता को न्यायालय की हर सुनवाई में उपस्थित रहना चाहिए और मुक़दमे के हर चरण में सरकारी अभियोजक की सहायता के लिए तैयार रहना चाहिए।

व्याख्या

NGO के वे प्रतिनिधि जो प्राथमिकी पंजीकृत किए जाते समय गवाह थे उन्हें अपने बयानों के अनुसार न्यायालय में गवाही देनी होगी। NGO प्रतिनिधियों को पीड़ितों के साथ न्यायालय जाकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ज़िले से बाहर के पीड़ितों को गवाहों के रूप में गवाही देने हेतु न्यायालय तक सुरक्षित पहुँचाया जाए। NGO प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आरोपित व्यक्ति गवाहों को प्रभावित न करें।

NGO के प्रशिक्षित और योग्य परामर्शदाताओं को पीड़ितों को मुख्य परीक्षा और प्रतिपरीक्षा (जिरह) के लिए तैयार करना चाहिए ताकि वे इस प्रक्रिया से मिलने वाले सदमे के बावजूद, विशेष रूप से बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में, निडरता और शुद्धता से गवाही दे सकें।

NGO स्टाफ़ को पीड़ित को और उसके गवाही दे चुकने के बाद उसके परिवार (यदि उपस्थित हो) को मामले में क्या हुआ इसकी पूरी जानकारी भी देनी चाहिए।

अधिवक्ता को पीड़ितों को मुख्य परीक्षा और प्रतिपरीक्षा (जिरह) की प्रक्रिया के लिए तैयार करने हेतु NGO के साथ कार्य करना चाहिए। यह तैयारी आदर्श रूप से किसी ऐसे स्थान पर की जानी चाहिए जो पीड़ित के लिए सुविधाजनक हो।

अधिवक्ता को गवाही देने वाले व्यक्तियों को साक्ष्य की रचना में उनके बयानों के महत्व के बारे में साफ़-साफ़ समझाना चाहिए और उन्हें मामले के बारे में सूचित रखना चाहिए।

अधिवक्ता को सरकारी अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों की गवाहियों की एक-एक प्रति भी प्राप्त करनी चाहिए। जहाँ भी लागू हो वहाँ, अधिवक्ता को मामला द्रुतगामी (फ़ास्ट ट्रैक) न्यायालय में चलाने का आवेदन दायर करना चाहिए।

यदि पीड़ित न्यायालय में उपस्थित होने में असमर्थ हो तो अधिवक्ता को वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम से पीड़ित की गवाही रिकॉर्ड करने की संभावना की पड़ताल करनी चाहिए।

अधिवक्ता को साक्ष्य/गवाही के संबंध में न्यायालय की सभी कार्यवाहियों (मुख्य परीक्षा और प्रतिपरीक्षा) में उपस्थित रहना चाहिए। जिस अधिवक्ता ने पीड़ित को तैयार किया है उसे ही उसके साथ न्यायालय जाना चाहिए। इससे निरंतरता बनी रहेगी और बचाए गए पीड़ित का विश्वास जीतने में मदद मिलेगी।

सस्मरणीय बिंदु

बनावटी मुक़दमा और सुनवाई-कक्ष का दौरा: NGO और अधिवक्ता को पीड़ित को सुनवाई-कक्ष में सहज होने में मदद करनी चाहिए; इसके लिए उन्हें पीड़ित को सुनवाई से पहले ही सुनवाई-कक्ष में ले जाना चाहिए, ताकि गवाही देने के लिए सुनवाई-कक्ष में उसका प्रवेश, उस कक्ष में उसका पहला प्रवेश न हो। इससे तनाव घटाने में मदद मिलती है। दूसरे, किसी सुविधाजनक स्थान पर बनावटी मुक़दमा संचालित करने से पीड़ित आरोपित के विरुद्ध गवाही देने के लिए बेहतर ढंग से तैयार होगा।

यदि मामले में बच्चे शामिल हों तो अपनाए जाने वाले संवेदनशील उपाय:[104]

[104] गोआ बाल अधिनियम, 2003 के तहत बाल न्यायालय हेतु दिशानिर्देशों पर आधारित।

a. बाल पीड़ितों/गवाहों को न्यायालय की कार्यवाही के संबंध में उनकी भूमिका के बारे में सूचित किया जाता है;
b. उनके विचारों को सुना जाता है और उनका सम्मान किया जाता है;
c. उनकी असुविधा को न्यूनतम किया जाता है और उनकी निजता का सम्मान किया जाता है;
d. कार्यवाहियों में होने वाले विलंब घटाए जाते हैं;
e. बाल पीड़ितों से आक्रामक पूछताछ या प्रतिपरीक्षा (जिरह) से बचा जाता है, और यदि आवश्यक हो तो ऐसी पूछताछ न्यायाधीश के ज़रिए की जाती है;
f. एकांत में मुक़दमे की व्यवस्था की जाती है;
g. बाल पीड़ित की पहचान की सुरक्षा की जाती है;
h. बाल पीड़ितों को न्यायिक प्रक्रिया के लिए तैयार किया जाता है और यदि कोई बच्चा न्यायालय जाने को तैयार न हो तो कथित दुर्व्यवहारियों के अभियोजन में जल्दबाज़ी नहीं की जाती है।
i. जाँचकर्ता बाल पीड़ित की चिकित्सीय जाँच की आवश्यकता का पता लगाता है, और जब जाँच की जाए तो यह सुनिश्चित करता है कि बार-बार जाँच न की जाए;
j. जहाँ तक संभव हो, चिकित्सीय जाँच माता-पिता/संरक्षक और समाजसेवी/परामर्शदाता की उपस्थिति में की जानी चाहिए;
k. दुर्व्यवहार की घटना बाद जल्द-से-जल्द, अन्य गवाहों को साथ रखते हुए, बच्चे की गवाही किसी समाजसेवी/परामर्शदाता की उपस्थिति में दर्ज की जानी चाहिए;
l. जब भी कभी आवश्यकता हो तब ऐसे पर्याप्त अनुवाद/व्याख्याएँ और अनुवादक/दुभाषिये प्रदान किए जाने चाहिए जो बच्चे की ज़रूरतों के प्रति संवेदना रखते हों।
m. मानसिक रूप से अशक्त बच्चों के मामले में, बच्चे की ओर से किसी सक्षम सेवा प्रदाता को गवाही देनी चाहिए;
n. बाल पीड़ितों/गवाहों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
   i. बच्चों को न्यायालय के माहौल से परिचित कराएँ;
   ii. बच्चों को न्यायालय में उपस्थित मुख्य व्यक्तियों, जैसे न्यायाधीश, बचाव पक्ष के वकील, और सरकारी अभियोजक, की विभिन्न भूमिकाओं के बारे में बताएँ;
   iii. न्यायालय को बच्चों की विशेष आवश्यकताओं के बारे में सामान्य रूप से और विशिष्ट मामलों में बालक/बालिका विशेष की विशेष आवश्यकताओं के बारे में बताएँ;
   iv. बच्चों को कार्यवाहियों में सहज होने में सहायता दें;
   v. पूछताछ संक्षिप्त और स्पष्ट रखी जाने को प्रेरित करें ताकि बाल गवाह भ्रमित न हों;
   vi. आठ वर्ष से छोटे बच्चों को किसी समाजसेवी द्वारा पूछे गए मार्गदर्शक प्रश्नों के उत्तर देने की अनुमति दें।

मुख्य परीक्षा: मुख्य परीक्षा के दौरान अधिवक्ता गवाहों से पूछे जाने वाले प्रश्न लिखित रूप में प्रस्तुत करके PP की सहायता कर सकता है।

प्रतिपरीक्षा (जिरह): प्रतिपरीक्षा का प्रयोजन अभियोजन पक्ष की कहानी में मौजूद दोषों/त्रुटियों को सामने लाना होता है। बनावटी प्रतिपरीक्षा (जिरह) का अभ्यास करना अच्छा रहता है, ताकि गवाह प्रक्रिया से घबराएँ नहीं और वे बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं के प्रश्नों को संभालने के लिए तैयार हों।

गवाह: गवाहों में पीड़ित, पंच गवाह, प्रलोभक (नक़ली) ग्राहक, जाँच अधिकारी, और सरकारी अभियोजन पक्ष के केस को सिद्ध करने के लिए जो भी अन्य गवाह आवश्यक हों वे गवाह शामिल होते हैं।

और जानें तथा क़दम उठाएँ

डेल्ही डोमस्टिक वर्किंग विमेन्स फ़ोरम बनाम भारत संघ[105] में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि:

"पीड़ित के अधिवक्ता की भूमिका पीड़ित को कार्यवाहियों की प्रकृति के बारे में समझाने, उसे मामले के लिए तैयार करने, और पुलिस स्टेशन व न्यायालय में उसकी सहायता करने तक सीमित नहीं है बल्कि उसमें पीड़ित को इस बारे में मार्गदर्शन देना भी शामिल है कि वह अन्य प्रकार की सहायता, जैसे मनोपरामर्श या चिकित्सीय सहायता, किस प्रकार अन्य एजेंसियों से प्राप्त कर सकती है। जिस व्यक्ति ने पुलिस स्टेशन में शिकायतकर्ता की देखभाल की थी वही व्यक्ति मामले के अंत तक उसका प्रतिनिधित्व करे यह सुनिश्चित करके सहायता की निरंतरता को सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।"

विशिष्ट रूप से गवाहों की मुख्य परीक्षा और प्रतिपरीक्षा (जिरह) पर लागू होने वाले प्रावधानों के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएँ 137 से 146 (और अन्य प्रासंगिक प्रावधान) पढ़ना न भूलें।

तीव्र मुक़दमा सुनिश्चित करने के लिए गवाहों की प्रतिदिन परीक्षा: CrPC की धारा 309(1) के तहत, "जब गवाहों की परीक्षा शुरू हो जाए, तो उसे तब तक प्रतिदिन किया जाना है जब तक सभी उपस्थित गवाहों की परीक्षा पूरी न हो जाए",

[105] गोआ बाल अधिनियम, 2003 के तहत बाल न्यायालय हेतु दिशानिर्देशों पर आधारित।

,और जो भी स्थगन हों वे दर्ज कारणों के लिए किए जाएँगे।

अधिवक्ता को CrPC के तहत मुक़दमे के विभिन्न चरणों से और भारतीय साक्ष्य अधिनियम से परिचित होना चाहिए।

मुक़दमे के दौरान अभ्यास प्रश्न: यौन शोषण के लिए मानव व्यापार से संबंधित मुक़दमे में पूछे जा सकने वाले अभ्यास प्रश्नों के सेट के लिए JVI से संपर्क करें।

चरण 14 अवैध यौन व्यापार सिद्ध करने के लिए अंतिम तर्क प्रस्तुत करना

समयसीमा: अंतिम तर्कों की तैयारी अधिवक्ता पर निर्भर है पर उन्हें मुक़दमे के समापन के समय, अंतिम निर्णय की घोषणा से पहले प्रस्तुत करना होता है।

NGO	अधिवक्ता
मुक़दमे में बाद के चरण में, NGO को अधिवक्ता को व्यापक लिखित निवेदन दायर करने में सहायता के लिए अधिकतम संभव जानकारी प्रदान करनी चाहिए।	अधिवक्ता को, सरकारी अभियोजक के माध्यम से (या यदि अभियोजक सहायता से मना करे तो सीधे) न्यायालय के समक्ष अंतिम तर्कों की प्रस्तुति के लिए लिखित निवेदन तैयार करके उन्हें दायर करना चाहिए। न्यायालय द्वारा अनुमति मिल जाने पर अधिवक्ता को अंतिम मौखिक तर्क भी पेश करने चाहिए।

व्याख्या

NGO को लिखित निवेदनों के लिए अधिवक्ता को अधिकतम संभव जानकारी देनी चाहिए।	अधिवक्ता को न्यायालय के समक्ष उपयुक्त प्रारूप में लिखित निवेदन (चाहे अंतिम हों या अनंतिम) तैयार करके दायर करने चाहिए। न्यायालय को अभियोजन पक्ष के मामले की शक्ति का विश्वास दिलाने के लिए अंतिम मौखिक तर्क प्रस्तुत करने में PP की सहायता के लिए अधिवक्ता को न्यायालय में उपस्थित रहना चाहिए।

सस्मरणीय बिंदु

लिखित निवेदनों का पूरण, निर्णय विधि (केस क़ानून) और उपयुक्त निष्कर्षों से करें: सरकारी अभियोजन पक्ष के मामले को सिद्ध करने के लिए लिखित निवेदनों के साथ-साथ उनके पूरक के रूप में पर्याप्त निर्णय विधि (केस क़ानून) और गवाह साक्ष्य के प्रासंगिक निष्कर्ष भी देने चाहिए।

CrPC की धारा 301(2) के तहत पीड़ित/शिकायतकर्ता साक्ष्य वाला चरण पूरा हो जाने के बाद भी (न्यायालय की अनुमति से) लिखित तर्क प्रस्तुत कर सकता है।

और जानें तथा क़दम उठाएँ

लिखित निवेदनों के प्रारूप: लिखित निवेदनों के प्रारूप के लिए **परिशिष्ट 31** देखें।

चरण 15 निर्णय प्राप्त करना

समयसीमा: निर्णय की आधिकारिक प्रति प्राप्त करने में पंद्रह दिन लग सकते हैं।

NGO	अधिवक्ता
NGO को न्यायालय से अंतिम निर्णय की प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने में अधिवक्ता की सहायता करनी चाहिए।	अधिवक्ता को अंतिम निर्णय की प्रमाणित प्रतियों के लिए आवेदन करने चाहिए।

व्याख्या

निर्णय की घोषणा हो जाने के बाद, NGO को अंतिम निर्णय की प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने में अधिवक्ता की सहायता करनी चाहिए।	अधिवक्ता को न्यायालय के अंतिम निर्णय की प्रमाणित प्रतियों के लिए आवेदन करने चाहिए।

और जानें तथा क़दम उठाएँ

अधिवक्ता को क्षेत्राधिकारी न्यायालय की पूर्वावश्यक शर्तों के अनुसार अपील के प्रारूपों की जानकारी होनी चाहिए।

निर्णय दिए जाने के बाद उठाए जाने वाले क़दमों के बारे में यदि और जानकारी चाहिए हो तो JVI से संपर्क करें।

चरण 16 अपील दायर करना

समयसीमा: अपील, निर्णय की घोषणा के दिनांक से 60 दिनों के भीतर दायर कर देनी चाहिए।

NGO	अधिवक्ता
NGO को, यदि आवश्यक हो तो, अपील तैयार करने में अधिवक्ता की सहायता करनी चाहिए।	अधिवक्ता को, यदि आवश्यक हो तो, प्रतिकूल निर्णय के विरुद्ध अपील या संशोधन आवेदन दायर करना चाहिए।

व्याख्या

यदि पीड़ितों के साथ-साथ NGO प्रतिनिधि न्यायालय के निर्णय पर अपील करना चाहते हों, तो उन्हें अधिवक्ता से संपर्क करना चाहिए।	अधिवक्ता को निर्धारित समय के भीतर और जल्द-से-जल्द, तथा निर्धारित प्रारूप में अपील या संशोधन आवेदन दायर करना चाहिए।

सस्मरणीय बिंदु

मुक़दमा ख़त्म हो जाने पर, अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करने में सतर्क रहना चाहिए कि आरोपित द्वारा दायर अपील उसकी नज़रों से बचने न पाए या यदि बचाए गए व्यक्तियों की ओर से अपील दायर की जानी है तो उसे सीमाबंधन की अवधि के भीतर दायर कर दिया जाए।[106]

यदि आरोपित द्वारा अपील दायर की जाए, तो अधिवक्ता को उसके विरोध के लिए तैयार होना चाहिए। हालाँकि, यदि आरोपित को निर्दोष घोषित किया जाए तो अधिवक्ता दोषमुक्ति के विरोध में उच्च न्यायालय में अपील या संशोधन आवेदन दायर कर सकता है।

और जानें तथा क़दम उठाएँ

अधिवक्ता को क्षेत्राधिकारी न्यायालय की पूर्वावश्यक शर्तों के अनुसार अपील या संशोधन के प्रारूपों की जानकारी होनी चाहिए।

संशोधन आवेदन, CrPC की धाराओं 397 से 401 के तहत दिए गए आधारों पर दायर किया जा सकता है।

अपील या संशोधन दायर करने के लिए उठाए जाने वाले क़दमों या अपील/संशोधन के प्रारूपों के बारे में और जानकारी के लिए JVI से संपर्क करें।

JVI
JUSTICE
VENTURES
INTERNATIONAL